न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 54/2024

उनवान

इन्द्रा देवी पत्नी रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बलवंता, नसीराबाद
——प्रार्थीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. ज्ञान प्रकाश,
2. दिलीप कुमार,
3. राजेश कुमार,
4. रोहित कुमार पि. रामरतन जाति महाजन नि. ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री राम सिंह
5 जरियें राज0 पेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 22.7.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के वर्किंग खसरा नम्बर 2646 रकबा 0.22 के हाल खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.22 प्रार्थी की कयशुदा आराजी है। वंकिंग खसरा नम्बर 2692 के हाल खसरा नम्बर 1315, 1321 व 1268/8725 अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 2646 पूर्व वंर्किग मानत्रि में सही अंकित था। किन्तु हाल खसरा नम्बर 1248 को त्रुटिपूर्ण तरीके से राजस्व मानचित्र में अंकित कर दिया। खसरा नम्बर 1248 के दक्षिण दिशा की ओर अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1268/8725 अंकित कर दिया, जबकि अप्रार्थी का हाल खसरा नम्बर 1268/8725 हाल खसरा नम्बर 1315 व 1321 के साथ दो तीन खेत छोडकर अंकित होना चाहिये था। वर्तमान राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नमबर 1248 व 1268/8725 को साथ अंकित कर दिया जबकि मौके पर खसरा नमबर 1248 ही मौजूद है। राजस्व मानचित्र में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रार्थी को परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जरियें अधिवक्ता इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग मानचित्र में वंर्किग खसरा नम्बर 2646 रास्ता के खसा नम्बर 2695 से लगता हुआ है। हाल मानचित्र में खसरा नम्बर 1248 को रास्तें के ख[illegible] अंकित नही किया है। रास्ते के लगायत खसंरा नम्बर 1268/8725 को अंकि[illegible] है जो कि गलत है। हाल खसरा नम्बर 1268/8725, 1315 [illegible] 2692 है जो वंर्किग मानचित्र में रास्ता खसरा नम्बर 2699 के लगायत [illegible] है। हाल खसरा नम्बर 1315 व 1321 को सही स्थान पर अंकित किया है, परन्तु खसरा नम्बर 1268/8725 को इ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नम्बर के लगायत अंकित नही करते हुये खसरा नम्बर 12478 के लगायत अंकित कर दिया है। अतः हाल राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.22 प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। हाल खसरा नम्बर 1315, 1321 व 1268/8725 अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी का है। वंकिंग राजस्व मानचित्र में वंकिंग खसरा नमबर 2646 रास्ते के लगायत स्थित है। वंकिंग खसरा नम्बर 2646 व रास्ता के मध्य कोई अन्य खेत अंकित नही है। इसी प्रकार वंकिंग खसरा नम्बर 2692 एक ही चक में वंकिंग खसरा नम्बर 2646 से कुछ दूरी पर स्थित है। वर्किंग खसरा नम्बर 2646 रकबा 0.22 के हाल खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.22 व वंकिंग खसरा नम्बर 2692 के हाल खसरा नम्बर 1315, 1321 व 1268/8725 बने है। हाल खसरा नम्बर 1315, 1321 व 1268/8715 को वर्तमान राजस्व मानचित्र में पूर्व अनुसार एक ही जगह अंकित करना चाहिये था, किन्तु हाल खसरा नम्बर 1268/8725 को हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1248 व रास्ते के मध्य में अंकित कर दिया जिस कारण प्रार्थी के खेत के सामने से रास्तें का अंकन हट गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। राज. पैरोकर ने भी अपने जवाब में हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटी को स्वीकार करते हुये इन्द्राज दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व मानचित्र से भी वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित होता है। उक्त त्रुटी दुरूस्त करने से अप्रार्थीगण के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। त्रुटी दुरूस्त करने से भूमि की किस्म, रकबा व खातेदारी अध्किाों र कोई प्रभाव नही होगा। पत्रावली में कोई साक्ष्य व दस्तावेज नही है जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन होता हो। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 1248, 1315, 1321 व 1268/8725 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वंकिंग मानचित्र अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 1268/8725 को वर्तमान स्थान से तर्क कर हाल खसरा नम्बर 1315 व 1321 के साथ अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested